

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प उ.रा.प्र.।।

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रेल मगरा
व भू.अ.नि. वेनीराम की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेल मगरा / नायब
तहसीलदार रेल मगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वडंगारखेडा तहसील रेल मगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०२२ में खाता संख्या २६, ११५, ११६ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	वडंगारखेडा	२६	वेणीराम पुत्र टोक्कल भील	वेणीराम पुत्र टोक्कल भील
०२	"	११५	— ० —	— ० —
०३	"	११६	— ० —	— ० —
०४	"	११७	— ० —	— ० —

वेनीराम
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, उ.रा.प्र.।।

क्रमांक:- 315
प्रतिलिपि -

दिनांक :- 10/10/25

1. तहसीलदार रेल मगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री वेनीराम
3. रक्षित पत्रावली। को सूचनार्थ।

वेनीराम
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, उ.रा.प्र.।।